कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,ललितपुर,

पत्रांक–1515/13–1 दिनांक – ललितपुर, अक्टूबर, 26 /2016।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0,
झांसी।

विषयः– **जनपद ललितपुर में भौंरट बांध निर्माण हेतु 209.807 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वनभूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव का प्रेषण।**

सन्दर्भः 1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र, लखनऊ का पत्रांक– 733/11सी, दिनांक 02.11.2012।
2– आपका पत्रांक– 1202/33–1, दिनांक 24.10.2016।

महोदय,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के सन्दर्भित पत्र द्वारा उठायी गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम निम्न विवरणानुसार करते हुये प्रस्ताव 5–5 प्रतियों में ऑनलाइन डाटा एंट्री कर आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि आप उक्त प्रस्ताव को अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें :–

बिन्दु सं0	आपत्ति	निराकरण
1	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर दी गयी है। (संलग्न पृष्ठ सं0–18 ए)
2	प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि हेतु लीज अवधि प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	लीज अवधि प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। (संलग्न पृष्ठ सं0–19)
3	प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि की गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	आरक्षित वनभूमि के गणना सूची संलग्न कर दी गयी है। (संलग्न पृष्ठ सं0–22–23)
4	आरक्षित वन भूमि के गजट में संबंधित अंश/गाटा संख्या आदि को रंगीन पेन से चिन्हित नहीं किया गया है। चिन्हित करते हुये प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	आरक्षित वनभूमि के गजट में संबंधित अंश/गाटा संख्या को रंगीन पेन से चिन्हित कर दिया गया है। (संलग्न पृष्ठ सं0–24–32)
5	पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	पर्यावरणीय स्वीकृति संलग्न कर दी गयी है। (संलग्न पृष्ठ सं0–113–136)
6	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आने वाले व्यय को जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।	संबंधित वचनबद्धता संलग्न कर दी गयी है। (संलग्न पृष्ठ सं0–58)
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली गैर वनभूमि के साथ क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रभागीय वनाधिकार की उपयुक्तता एवं मानचित्र संलग्न नहीं है।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी की उपयुक्ता एवं मानचित्र संलग्न कर दिया गया है। (संलग्न पृष्ठ सं0–53 एवं 166–178)

8	वन विभाग को उपलब्ध करायी जाने वाली गैर वन भूमि का विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है, बल्कि अलग से संलग्न किया गया है, जिसे प्रस्ताव के साथ संलग्न भू–चित्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अधिकतर भू भाग बहुत छोटे–छोटे एवं काफी दूरी के अन्तराल में है, यह बिन्दु विचारणीय है, इस पर भी आख्या प्रस्तुत करें।	वन विभाग को उपलब्ध करायी जानी वाली गैर वनभूमि का विवरण व उक्त वनभूमि के छोटे–छोटे भू–भाग एवं काफी दूरी के अन्तराल में अवस्थित होने के संबंध में आख्या संलग्न कर दी गयी है। (संलग्न पृष्ठ सं0–138–165)
9	ग्राम समाज की भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है, किन्तु जिलाधिकारी की सहमति संलग्न नही है।	ग्राम समाज की भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में जिलाधिकारी ललितपुर की सहमति संलग्न कर दी गयी है। (संलग्न पृष्ठ सं0–137)
10	प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 के पत्रांक–1017/23–1(कोटे केस), दिनांक 11.11.11 के अनुपालन में प्रभागीय निदेषक का वन स्वरूप संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	प्रभागीय निदेशक का वन स्वरूप भूमि संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। (संलग्न पृष्ठ सं0–63)
11	प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के प्रीमियम/लीजरेंट जमा करने के संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।	प्रीमियम/लीजरेंट जमा करने संबंधी वचनबद्धता संलग्न कर दी गयी है। (संलग्न पृष्ठ सं0–20)
12	लागत–लाभ विश्लेषण प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	लागत लाभ विश्लेषण संलग्न कर दिया गया है। (संलग्न पृष्ठ सं0–110, 111. 111ए, 112 एवं 112ए)
13	Digital map (Differential GPS) showing Geo-referenced boundry in shape file of the forest land proposed for diversion duly authenbticated by the competent authority in The State Government.	हस्तांरण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का डिजिटल मैप संलग्न कर दिया गया है। (संलग्न पृष्ठ सं0–91–99)
14	भारत सरकार के पत्रांक–एफ0न0–11–9/19987 एफसी (पीटी), दिनांक 03.08.2009 में एफ0आर0ए0 2006 के अन्तर्गत दिये गये निर्देषों के अनुरूप संबंधित ग्राम सभाओं से प्रस्ताव पारित कराकर जिलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कराये।	संबंधित ग्राम सभाओं से प्रस्ताव पारित कराकर जिलाधिकारी से अनपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न कर दिया गया है। (संलग्न पृष्ठ सं0–65–81)
15	परियोजना से 10 कि0मी0 की परिधि में कोई वन्यजीव/अभ्यारण्य स्थित न होने के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी का संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। (संलग्न पृष्ठ सं0–100)
16	प्रस्ताव तीन प्रतियों ही संलग्न की गयी है, उपरोक्तानुसार आपेक्षित सूचनाओं/अभिलेखों का समावेष करते हुए प्रस्ताव की अतिरिक्त प्राप्ति उपलब्ध कराये।	अतिरिक्त प्रति संलग्न है।

"प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त प्रेषित किये जा रहे प्रस्ताव का भली–भॉति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से पूर्णतः संतुष्ट है कि उक्त प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत आदेशों व दिशा निर्देश के अनुरूप है तथा समस्त वांछित अभिलेख/सूचनायें संलग्न है।"

संलग्नक– यथापरी

भवदीय

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
ललितपुर

पत्रांकः– 1515/सम दिनांक

1–प्रतिलिपि– प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2–प्रतिलिपि– प्रतिलिपि अधिशाषी अभियंता, सिचाई निर्माण खण्ड–द्वितीय, ललितपुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित है कि आप किसी भिज्ञ अभियंता द्वारा प्रस्ताव उच्च स्तर को भेजकर प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही कराना सूनिश्चित है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
ललितपुर